

02⁶/₂₆

अपीलांत के अधिवक्ता अनु०। अधिवक्ता
अपीलांत के न्यायालय समय में तीन बार
अलग-अलग आवाजें लगाई गई, इसके पश्चात
अनु० रहे तथा पूर्व में उन्हें बहस वास्ते
पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अनु०
रहे। मिहाजा अपीलांत में यह अपील अकम
पैरवी में खारिज की जाती है। अधिनस्थ
न्यायालय का रेकॉर्ड सौंपा जावे। पत्रावली के सल
शुमार डोनर नंबर से कम हो एवं वाखिल
वफा हो।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)